PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

UNIT-3 **PAPER NAME – BANKRUPTCY LAW**

Q1. स्थावर संपत्ति के विषय में प्रांतीय शोधक्षमता अधिनियम 1920 , में क्या विषेस प्रावधान किए गए है ? समझाइये।

उत्तर- अचल सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध (Special provisions regarding sale of immovable property)- प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 60 अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में विशेष उपबन्धों का उल्लेख करती है। धारा 60 के अनुसार

(1) किसी स्थानीय क्षेत्र में जिसमें व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 68 के अधीन घोषणा कर दी गयी है और लागू है, तो सरकार को लगान का भुगतान करने वाला या कृषि के प्रयोजन हेतु रखी या उठाई जाने वाली अचल सम्पत्ति का कोई विक्रय आदाता के द्वारा नहीं किया जायेगा, परन्तु दिवालिया की अन्य सम्पत्ति वसूल हो जाने के पश्चात् न्यायालय

(क) अब तक प्राप्त धन को घटाने के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन साध्य ऋणों को सन्तुष्ट करने के लिए अपेक्षित रकम;

(ख) अविक्रीत रहने वाली दिवालिया की अचल सम्पत्ति; तथा

(ग) उस पर अस्तित्वशील भार (यदि कोई हो);

को निश्चित करेगा तथा उपरोक्त विवरणों को सम्मिलित करते हुए कथन कलक्टर को भेजेगा, और ऐसा होने पर कलक्टर उक्त संहिता की तृतीय अनुसूची के परिच्छेद 2 से * 10 तक के द्वारा उस पर प्रदत्त शक्तियों में से ऐसी के प्रयोग द्वारा जैसा वह उचित समझता है, और उन परिच्छेदों के उपबन्धों के अध्यधीन, जहाँ तक वे प्रयोग करने. योग्य हैं, इस प्रकार अपेक्षित धन को एकत्रित करने को अग्रसर होगा तथा उन सभी धनराशियों को, जो ऐसी शक्तियों के प्रयोग द्वारा उसके हाथों में आयें, ग्रहण करेगा ।

(2) इस अधिनियम में कोई चीज अचल सम्पत्ति के विरुद्ध आज्ञप्तियों या आदेशों के निष्पादन को निषेध करने या प्रतिबन्ध लगाने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी संविधि के किन्हीं उपबन्धों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी तथा ऐसे कोई उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन किए गये न्यायनिर्णयन के किसी आदेश के प्रवर्तन को, जैसे कि वह ऐसी कोई डिक्री या आदेश होता, प्रयुक्त होने वाले नहीं समझे जायेंगे।'

PGS NATIONAL COLLGE OF LAW

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

UNIT-3 **PAPER NAME – BANKRUPTCY LAW**

Q2. ऋणों को वितरित करते समय प्रान्तीय दिवाला अधिनियम के अन्तर्गत पूर्णता या वरीयता नियम क्या है ? विवेचना कीजिये।

उत्तर- ऋणों की प्राथमिकता (Priority of debts) — ऋणों की प्राथमिकता के सम्बन्ध में प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 61 में निम्नलिखित प्रावधान किए गये हैं --

(1) दिवालिया की सम्पत्ति के वितरण में निम्नलिखित ऋणों को अन्य ऋणों की अपेक्षा प्राथमिकता देते हुए अदा किया जायेगा

(क) सरकार को या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय सभी ऋण; और
(ख) याचिका के प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व चार माह के भीतर दिवालिया को की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में किसी क्लर्क, सेवक या श्रमिक के दो सौ रुपये से अधिक न होने वाले सभी वेतन या मजदूरी ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित ऋण आपस में समान रूप से श्रेणीबद्ध होंगे तथा पूर्ण रूप में भुगतान किया जायेगा, जब तक कि दिवालिया की सम्पत्ति उनको सन्तुष्ट करने के लिए अपर्याप्त नहीं है, और उस दशा में वे परस्पर समान अनुपात में कम हो जायेंगे।

(3) उतनी रकम रोकने के पश्चात् जितनी कि प्रशासन के व्यय के लिए या अन्यथा किसी प्रकार से आवश्यक हो, उपधारा (1) में उल्लिखित ऋणों को वहाँ तक तत्काल उन्मोचित कर दिया जायेगा जहाँ तक कि दिवालिया की सम्पत्ति उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त होती है।

(4) भागीदारों के मामले में भागिता सम्पत्ति पहले भागिता के ऋणों के भुगतान में प्रयोज्य होगी तथा प्रत्येक भागीदार की पृथक् सम्पत्ति पहले उसके पृथक् ऋणों के भुगतान में प्रयोज्य होगी। यदि भागीदार की पृथक् सम्पत्ति में कुछ अधिशेष (Surplus) रह जाता है तो वह भागिता सम्पत्ति के भाग के रूप में व्यवहारित की जायेगी, तथा जहाँ भागिता सम्पत्ति का अधिशेष है, वह भागिता सम्पत्ति में प्रत्येक भागीदार के अधिकारों एवं हितों के अनुपात में अपनी-अपनी पृथक् सम्पत्ति के रूप में व्यवहारित की जायेगी।

(5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीनस्थ रहते हुए अनुसूची में प्रविष्ट सभी ऋणों का भुगतान क्रमशः उन ऋणों की रकमों के अनुसार निर्धारित किए गये दर पर और बिना किसी प्राथमिकता के किया जायेगा।

(6) जहाँ उपरोक्त ऋणों की आदायगी के पश्चात् कुछ अधिशेष (Surplus) हैं तो वह उस तारीख से, जिस पर ऋणी को दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, अनुसूची में प्रविष्ट सभी ऋणों पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के भुगतान में प्रयोज्य होगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

सभी ऋणदाताओं को ऋणी की आस्तियों का वितरण करने के उपरान्त भी यदि कुछ अतिशेष रहता है तो धारा 67 के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि उसका हकदार दिवालिया व्यक्ति होगा।

Q3. प्रान्तीय शोधक्षमता अधिनियम ,1920 के अन्तर्गत प्रतिभूति ऋणदाताओं के अधिकारों का वर्णन कीजिए।

सुरक्षित ऋणदाता (Secured creditors) – प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 47 यह उपबन्धित करती है कि

(1) जहाँ सुरक्षित ऋणदाता अपनी प्रतिभूति वसूल कर लेता है तो वह वसूल की गई असली रकम को घटाने के पश्चात् स्वयं को देय शेष धन सिद्ध कर सकता है।

(2) जहाँ सुरक्षित ऋणदाता ऋणदाताओं के सामान्य लाभ के लिये अपनी प्रतिभूति त्याग देता है तो वह अपने सम्पूर्ण ऋण को सिद्ध कर सकता है।

(3) जहाँ सुरक्षित ऋणदाता न तो अपनी प्रतिभूति को वसूल करता है और न उसको त्यागता है तो वह अपने ऋण को अनुसूची में चढ़वाने का अधिकारी होने से पहले, अपने सबूत में अपनी प्रतिभूति के विवरण और वह मूल्य जिस पर कि वह उसे निर्धारित करता है, वर्णित करेगा और वह केवल उस अवशिष्ट के सम्बन्ध में डिविडेण्ड प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो इस प्रकार से निर्धारित मूल्य को घटा देने के पश्चात् उसे देय रह जाती है।

(4) जहाँ कोई प्रतिभूति इस प्रकार मूल्यांकित की जाती है, तो न्यायालय वसूली के पूर्व किसी भी समय उसे विमोचित कर सकती है यदि ऋणदाता को निर्धारित कर दिया जाता है। मूल्य अदा

(5) जहाँ ऋण अपनी प्रतिभूति को मूल्यांकित कर लेने के पश्चात् उसे तत्पश्चात् वसूल कर लेता है तो वसूल की गई असली रकम ऋणदाता द्वारा पहले किये किसी मूल्यांकन की रकम के लिए प्रतिस्थापित होगी तथा सभी विषयों में ऋणदाता द्वारा किये गए संशोधित मूल्यांकन के रूप में समझी जायेगी।

(6) जहाँ सुरक्षित ऋणदाता इस धारा के उपबन्धों का पालन नहीं करता है तो उसे किसी लाभांश में सम्पूर्ण अंश से पृथक् कर दिया जायेगा।

सुरक्षित ऋणदाता के समक्ष निम्नलिखित तीन मार्ग हैं और वह इनमें से किसी पर भी चलकर अपने ऋण को सिद्ध कर सकता है

(1) प्रतिभूति वसूल करके (By realizing his security);

(2) प्रतिभूति त्याग करके (By relinguishing security);

(3) प्रतिभूति का मूल्य निर्धारित करके (By assessing value of security)।

(1) प्रतिभूति की वसूली (Realization of Security) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 47 (1) के अनुसार जहाँ सुरक्षित ऋणदाता अपनी प्रतिभूति वसूल कर लेता है तो वह वसूल की गई रकम को घटाकर स्वयं को देय शेष धन

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

सिद्ध कर सकता है। परन्तु हवेली शाह चनाम जोहरा जाँ, 133.1.C. 876 के वाद में यह निर्धारित किया गया है कि किसी सुरक्षित ऋणदाता को जिसने ऋणी के विरुद्ध कर्ज के लिए आज्ञप्ति प्राप्त कर ली है, आज्ञप्ति का निष्पादन कराने और साथ-ही-साथ आदाता से मिलकर प्रतिभूति को बिकवाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी भी सुरक्षित ऋणदाता को एक साथ दो घोड़ों पर सवार नहीं होने दिया जायेगा।

(2) प्रतिभूति का त्यागना (Relinguishment of security)- प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 47 (2) में यह कहा गया है कि जहाँ सुरक्षित ऋणदाता ऋणदाताओं के सामान्य लाभ के लिए अपनी प्रतिभूति त्याग देता है, तो वह अपने ऋण को सिद्ध कर सकता है। प्रतिभूति को त्यागने के पश्चात् सुरक्षित ऋणदाता की स्थिति असुरक्षित ऋणदाता के समान हो जाती है।

(3) प्रतिभूति का मूल्य निर्धारण (Assessment of value of security)- प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 47 (3) एवं (4) के अनुसार, जहाँ सुरक्षित ऋणदाता अपनी प्रतिभूति को न तो वसूल करता है और न त्यागता है तो वह अपने ऋण को अनुसूची में चढ़वाने का अधिकारी होने से पूर्व अपने सबूत में अपनी प्रतिभूति के विवरण और वह मूल्य जिस पर कि वह उसे निर्धारित करता है, वर्णित करेगा और वह केवल उस अवशिष्ट के सम्बन्ध में डिविडेण्ड प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो इस प्रकार से निर्धारित मूल्य को घटा देने के पश्चात् उसे देय रह जाती है। जहाँ कोई प्रतिभूति इस प्रकार मूल्यांकित की जाती है, तो न्यायालय वसूली के पूर्व किसी भी समय उसे विमोचित कर सकती है यदि ऋणदाता को निर्धारित मूल्य अदा कर दिया जाता है।

इस प्रकार, उपरोक्त वर्णन के अनुसार सुरक्षित ऋणदाता अपना ऋण सिद्ध कर सकता है।

ऋण को सिद्ध करने की रीति (Mode of proving debt)- प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 49 यह उपबन्धित करती है---

(1) इस अधिनियम के किसी ऋण को, न्यायालय को ऋण को सत्यापित करते हुए शपथ-पत्र देकर या रजिस्टर्ड-पत्र में डाक द्वारा भेजकर, सिद्ध किया जा सकता है।

(2) शपथ-पत्र में ऋण के विवरण को दर्शित करते हुए लेखे का कथन सम्मिलित या उल्लिखित होगा तथा रसीदों का (यदि कोई हों) जिनसे उसकी अभिपुष्टि हो सकती है, विवरण होगा। न्यायालय किसी भी समय रसीदों को प्रस्तुत करने को कह सकती है।

कृष्णचन्द्र बनाम जोतिन्द्र नाथ, 1141.C. 415 के बाद में निर्णीत किया गया है कि धारा 49 के अन्तर्गत ऋणों को सिद्ध करने का साधारण तरीका वर्णित है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऋणदाता के सम्मुख सिद्ध करने के अन्य तरीकों के दरवाजे बन्द हैं। धारा 78 के अन्तर्गत किसी ऋण को सिद्ध हुआ समझा जाता है, यदि वह दिवाला कार्यवाही के दौरान निर्णीत ऋणी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

-

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

UNIT-3 **PAPER NAME – BANKRUPTCY LAW**

निष्पादन में ऋणदाता के अधिकारों पर प्रतिबन्ध (Restriction on the right of creditor in execution) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 51 निष्पादन के अधीन ऋण दाता के अधिकारों पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान करती है----

(1) जहाँ किसी ऋणी की सम्पत्ति के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन जारी किया जाता है, वहाँ सिवाय उन आस्तियों के सम्बन्ध में जो याचिका के ग्रहण किये जाने को तारीख के पूर्व किये गये विक्रय द्वारा निष्पादन के अनुक्रम में, या अन्यथा किसी प्रकार से वसूल कीजा चुकी हैं, कोई भी व्यक्ति आदाता के विरुद्ध निष्पादन का लाभ उठाने के लिये अधिकारी नहीं होगा।
(2) इस धारा की कोई भी बात किसी सुरक्षित ऋणदाता के उस सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिकारों को, जिसके विरुद्ध कि डिक्री निष्पादित की जाती है, प्रभावित नहीं करेगी।
(3) कोई व्यक्ति, जो सद्भाव में निष्पादन में विक्रय के अधीन ऋणी की सम्पत्ति खरीदता है, आदाता के विरुद्ध सभी मामलों में उसके लिये श्रेष्ठ स्वत्व प्राप्त करेगा।

इस तरह यह धारा उस ऋणदाता के अधिकार पर निर्बन्धन लगाती है, जो दिवाला याचिका ग्रहण किये जाने के पूर्व निष्पादन करवाता है। यह धारा उसके अधिकारों को केवल उन आस्तियों तक सीमित कर देती है जोकि दिवाला याचिका के ग्रहणादेश के पूर्व ही वसूल की जा चुकी हैं। यह धारा केवल उस विशिष्ट ऋणदाता के अधिकार पर बन्धन नहीं लगाती जोकि कार्यवाहियाँ आरम्भ करता है, वरन् उन पर भी प्रतिबन्ध लगाती है जो कि आनुपातिक वितरण प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। इस धारा द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध केवल ऋणी की सम्पत्ति के विरुद्ध किये गये निष्पादन पर ही लागू होता है। निष्पादन का अधिकार उस समय बाधित होता है जबकि याचिका ग्रहण कर ली जाती है। कोई याचिका उस समय ग्रहण की गई कही जाती है जबकि उसे पंजीकृत करने का निर्देश दे दिया जाता है और ऋणी से यह कहा जाता है कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे।

धारा 51(1) का लाभ प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है
(i) निष्पादन ऋणी की सम्पत्ति के विरुद्ध होनी चाहिए;
(ii) इस प्रकार के निष्पादन के दौरान में यह आवश्यक है कि बिक्री द्वारा या अन्यथा किसी प्रकार से आस्तियाँ वसूल हो चुकी हों;
(iii) आस्तियों की वसूली दिवाला याचिका पर ग्रहणादेश दिये जाने की तारीख से पहले होनी चाहिए।

धारा 51 के दो अपवाद हैं, जो उपधारा (2) एवं (3) में उल्लिखित हैं। यह अपवाद निम्नलिखित हैं

(1) धारा 51 (1) सुरक्षित ऋणदाताओं के मामलों में लागू नहीं होती है में

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(2) धारा 51 (1) सद्विश्वास के आधार पर खरीद करने वाले क्रेता के मामलों में होती है। लागू नहीं

सुवनृयना बनाम शेषरत्नम, 2000(2)A.L.T. 365 के मामले में न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि धारा 51 के अधीन निष्पादन में ऋणदाता के अधिकार पर प्रतिबन्ध तथा एक बार जब याचिका ग्रहण कर ली जाती है, तो दिवालिया की सभी सम्पत्तियाँ इकट्ठी कर ली जाती हैं ताकि यदि उसे अन्ततोगत्वा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो आगे की कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जा सके।

PGS NATIONAL COLLGE OF LAW